झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग, झारखण्ड में रोड़ टैक्स भुगतान की सुविधा को नेट–बैंकिंक के अलावा **ICICI** बैंक काउन्टर के साथ भी विस्तार किया गया है। कुछ ऑटो मालिक, बस मालिक तथा छोटे वाहन मालिकों को नेट–बैंकिंक के द्वारा टैक्स जमा करने में कठिनाई की सूचना प्राप्त हुई है। इन सब को देखते हुए **ICICI** बैंक काउन्टर के माध्यम से भी टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू की जा रही है। इस सेवा के द्वारा व्यावसायिक वाहन मालिक भी रोड़ टैक्स दे सकते है। राज्य के कुल 45 **ICICI** बैंक की शाखाओं में जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस सेवा के द्वारा सभी व्यक्ति चाहे उसका **ICICI** बैंक में खाता है अथवा नहीं सभी बैंक काउन्टर पर नगद के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते है।

यह सेवा प्राप्त करने के लिए कर दाता किसी भी **ICICI** बैंक काउन्टर में जमा पर्ची में वाहन स्वामी का नाम, निबंधन संख्या टैक्स मोड (**Yearly/Quarterly/One time**) भर कर काउन्टर में जमा कर सकते है। **ICICI** बैंक में जमा की गई शुल्क/कर की राशि परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के खाते में जमा की जाएगी। प्राप्त जमा राशि के विरूद्ध बैंक द्वारा हस्ताक्षर तथा मुहर के साथ प्राप्ति रशीद दी जाएगी, जिसे कर दाता द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपयोग किया जा सकता है।

कर दाता परिवहन विभाग के Web site - (https://vahan.jhr.nic.in/jh) से भी कर प्रतीक (Tax Token) की प्राप्ति कर सकते है।